

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

3587

संख्या :- 6/अ0प्र0-2-01/2025


पटना, दिनांक:- 29.3.25

ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के बिहार अभियंत्रण सेवा के वर्ग-1 के पदाधिकारियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन/रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ दिये जाने हेतु गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति के सदस्यों के स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति होने के फलस्वरूप निम्नांकित प्रकार से विभागीय स्क्रीनिंग समिति पुनर्गठित की जाती है :-

1.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग	अध्यक्ष
2.	स्थापना के वरीय प्रभारी (विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना)।	सदस्य
3.	अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
4.	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा मनोनित पदाधिकारी	सदस्य
5.	अनु0 जाति/जनजाति समुदाय का पदाधिकारी के रूप में श्री निर्मल कुमार, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना अथवा श्री मनोज कुमार, अधीक्षण अभियंता, जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण अंचल, पटना	सदस्य
6.	वित्त विभाग, बिहार, पटना के एक प्रतिनिधि के रूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
7.	अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में मो0 सुल्तान अहमद, मुख्य अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना अथवा मो0 तारिक अनवर, तकनीकी सलाहकार, कार्य अंचल, किशनगंज, प्रतिनियुक्त, मुख्य अभियंता, अनुरक्षण एवं उन्नयन का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना	सदस्य

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से


29/03/25
(उमंग)

सरकार के अवर सचिव

पटना, दिनांक:- 29.3.25

संख्या :- 6/अ0प्र0-2-01/2025 3588
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/विशेष सचिव के निजी सहायक/संयुक्त सचिव के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के निजी सहायक/अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/ उप सचिव, वित्त विभाग/अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


29/03/25

सरकार के अवर सचिव

